भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 650

06 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न

पोषण-संवर्धित चावल के वितरण के लिए योजनाएं

650. श्री पी.पी. चौधरी:

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

श्री सी.आर.पाटिल:

श्री अनुराग शर्मा:

श्री संगम लाल गुप्ता:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार किन-किन कार्यक्रमों, योजनाओं और मिशनों के अंतर्गत पोषण-संवर्धित (फोर्टिफाइड) चावल का वितरण कर रही है;

(ख) पोषण-संवर्धित चावल के लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने पोषण संवर्धित चावल के उत्पादन और वितरण के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) चावल पोषण-संवर्धन (फोर्टिफिकेशन) कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के कितने जिलों को शामिल किया जा रहा है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत संपूर्ण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) स्कीम और एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) एवं अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस), जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, चरणबद्ध तरीके से देशभर में किशोरी लड़कियों के लिए स्कीम (एसएजी), अन्नपूर्णा स्कीम, कल्याणकारी संस्थान और छात्रावास स्कीम शामिल हैं, में फोर्टिफाइड चावल के आपूर्ति का अनुमोदन दिया है।

....2/-

(ख): विभिन्न राज्य सरकारों से देश के आदिवासी क्षेत्रों में फोर्टिफाइड चावल के लाभों और पौषणिक सुरक्षा पर इसके सकारात्मक प्रभावों पर जागरूकता सृजित करने के लिए कार्यक्रम करवाने का आग्रह किया गया था। तद्नुसार, आदिवासी जनसंख्या वाले 09 जिलों में-**गुजरात (वापी), महाराष्ट्र (नाशिक और नंदुरबर), छत्तीसगढ़ (कांकेर), झारखंड (पूर्व सिंहभूम), मध्यप्रदेश (शहडोल, मांडला, बरवानी) और केरल (वायनाड)** राज्यों में-डीएफपीडी, एफसीआई और अन्य हितधारकों जैसे क्षेत्रीय विशेषज्ञ, चिकित्सीय पेशेवर, मीडिया सदस्य, प्रमुख हस्तियों, क्षेत्रीय नेताओं और विकास सहभागियों की सहभागिता के साथ कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, फोर्टिफाइड चावल के लाभों से संबंधित पोषण के बारे में हितधारकों को जागरूक करने के लिए एफसीआई द्वारा मंडल/क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। इसके अतिरिक्त, एफएसएसएआई ने फोर्टिफाइड चावल के पौषणिक लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों के बीच विशेष अभियान चलाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को परामर्शिका भी जारी की थी।

इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आईईसी सामग्री भी साझा की गई थी।

एफएसएसएआई ने फोर्टिफाइड भोजन के लिए विभिन्न आईईसी सामग्री का विकास भी किया है और इनको जारी भी किया है जो हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में https://fortification.fssai.gov.in/media-gallery पर उपलब्ध है।

प्रति जिला 5.00 लाख रुपए की दर से प्रशासनिक/आकस्मिक लागत का प्रावधान किया गया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) और क्षमता निर्माण शामिल हैं।

(ग) से (घ): गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए और पात्र लाभार्थियों को सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले फोर्टिफाइड चावल प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) एवं भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) तथा विभिन्न हितधारकों से परामर्श के साथ अधिसूचित/बनाए गए प्रोटोकोल/मानक/मानक प्रचालन प्रक्रिया के आधार पर "फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (एफआरके) और फोर्टिफाइड चावल (एफआर) हेतु गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश" तैयार किए गए थे और दिनांक 13.12.2022 को जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, एफएसएसएआई ने इस संबंध में निम्न कदम भी उठाया है:

- एफएसएसएआई ने फोर्टिफाइड चावल (एफआर), फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (एफआरके) और एफआरके हेतु विटामिन खनिज प्रिमिक्स के नमूना पर दिशा-निर्देश तैयार किया है।

...3/-

- एफएसएसएआई ने फोर्टिफाइड चावल की जांच के लिए 42 प्रयोगशालाएं, फोर्टिफाइड चावल कर्नेल की जांच के लिए 21 प्रयोगशालाएं और एफआरके हेतु विटामिन खनिज प्रिमिक्स जांच के लिए 10 प्रयोगशालाएं अधिसूचित की है।

- एफएसएसएआई ने फोर्टिफाइड चावल कर्नेल निर्माताओं के संबंध में निगरानी अभियान भी चलायी थी। निगरानी अभियान के इन-पुट के आधार पर, दिनांक 11.08.2023 के पत्र के माध्यम से एफआरके नमूनों को उठाने हेतु प्रवर्तन अभियान शुरू किया गया था।

(ङ.): राजस्थान एक गेहूं खपत वाला राज्य है, इसलिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य में फोर्टिफाइड चावल का वितरण नहीं किया जाता है। गुजरात के 33 जिले, उत्तर प्रदेश के 75 जिले और उड़ीसा के 30 जिले चावल फोर्टिफिकेशन पहल को लागू कर रहे हैं।

*****